न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 216/2022
GCMS NO. : 2022/409 (409)

–: वादिया :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1.रतनकंवर पत्नी चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी सिणला तहसील जैतारण जिला ब्यावर सरपंच ग्राम पंचायत खराडी, पंचायत समिति जैतारण जिला ब्यावर।

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.27/12/2022

उपस्थितः– 1. श्री अरूण सिंह राठौड़, अधिवक्ता वादिया।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 22/02/2024**

वकील मय वादिया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थानके तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खराडी, पटवार हल्का डिगरना वर्तमान पटवार हल्का खराडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 903 रकबा 1.3274 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 903 रकबा 1.3274 हैक्टयर भूमि में ग्रामवासी अनूसूचित जाति बाबरी व पिछड़े वर्ग के लोगों के रहवासीय मकान स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि को पीढ़ियों से लोग आबादी के रूप में काम में लेते आ रहे है एवं आबादी बसी हुई है। परन्तु राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दीयों में उपरोक्त वर्णित भूमि की किस्म गै0मु0 गोचर दर्ज है जो एक गलत इन्द्राज एवं रोग एन्ट्री है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायौचित एव न्याय संगत है। वादग्रस्त आराजी की भूमि की पूर्व मे किस्म गै0म0 गौचर दर्ज थी परन्तु आदेश नम्बर 990 दिनाँक 05/06/1971 के जरिये उक्त भूमि को गौचर भूमि से [illegible] आबादी भूमि में कन्वर्ड किया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की [illegible] भूल एवं सद्भाविक त्रुटिवश म्युटेशन पारित करते समय [illegible] 8 बीघा [illegible] बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8 [illegible] घा 4 बिस्वा का [illegible] ज राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुंदर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली

रेकर्ड मे कर दिया गया जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता है। इसलिए खसरा नम्बर 903 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा गै0मु0 गौचर के स्थान पर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर खसरा नम्बर 903 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा गै0मु0 आबादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया कर घोषित किये जाने हेतु यह वादपत्र बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। खसरा नम्बर 503 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 गौचर संवत् 2011 से 2030 की जमाबन्दी में दर्ज था। लेकिन वर्ष 1971 में खसरा संख्या 503 को विखण्डित कर खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा को गै0मु0 आबादी में कन्वर्ड कर दिया गया शेष मूल खसरा संख्या 503 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै0मु0 गोचर वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। खसरा नम्बर 503 भूमि को किसी प्रकार से आबादी भूमि कन्वर्ड नहीं किया गया था तथा वर्तमान में भी खसरा नम्बर 503 व 503/1 गौचर भूमि के रूप में ग्राम खराड़ी के ग्रामवासीयों द्वारा उपयोग में ली जा रही है तथा खसरा नम्बर 503 एवं 503/1 की भूमि मे किसी प्रकार की आबादी बसी हुई नहीं है उसके बावजुद भी बिना मौके एवं रेकर्ड की जाँच किये ही आदेश नम्बर 990 दिनांक 05/06/1971 के जरिये खसरा नम्बर 503 की भूमि को गौचर भूमि से गै0मु0 आबादी भूमि मे कन्वर्ड कर खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा दर्ज कर दिया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारीयों की मानवीय भूल एवं सद्भाविक त्रुटिवश म्युटेशन पारित करते समय खसरा नम्बर 903 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ मे आता है इसलिए खसरा नम्बर 903 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा गै0मु0 गौचर के स्थान पर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर खसरा नम्बर 903 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा गै0मु0 आबादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 903 किस्म गै0मु0 गौचर भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी घोषित किया जाता है तो गौचर भूमि के रकबे मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह वादपत्र बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। खसरा नम्बर 903 मे बने पैतृक पुश्तैनी मकानों के पट्टे राजस्थान सरकार द्वारा जारी योजना के अन्तर्गत बनवाने हेतु ग्रामवासीयों ने ग्राम पंचायत खराडी में आवेदन करने पर वादिया जो ग्राम पंचायत खराडी की वर्तमान मे सरपंच है जिन्होने खसरा नम्बर 903 के राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी दिनाँक 14/12/2022 को प्राप्त कर देखा तो वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 903 की किस्म गै0मु0 गोचर दर्ज है। तब वादिया द्वारा प्रतिवादी को खसरा नम्बर 903 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा की किस्म गै0मु0 गोचर से गै0मु0 आबादी किये जाने एवं खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा की किस्म गै0मु0 आबादी से गै0मु0 गौचर किये [illegible] निवेदन किया तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय के आदेश [illegible] रेकर्ड दुरुस्ती [illegible] न्यायालय से घोषणा करवाने के कथन किये। इसलिए [illegible] न्यायालय की शरण के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। खसरा नम्बर 903 भूमि में ग्राम खराड़ी के लोगों द्वारा पीढ़ियों से आबादी भूमि के रूप में काम मे ली जा रही है तथा वहाँ पर पक्के भवन बने हुए है, जहाँ पर पूर्ण रूप से आबादी विकसित रूप में बसी हुई है अगर राजस्व रेकर्ड मे खसरा नम्बर 903 किस्म गै0मु0 गोचर के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज नहीं की जाती है तो उसमे बसे निवासीयों को भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा एवं उनके हितों पर भारी कुठाराघात होगा एवं उन्हे पैतृक पुश्तैनी एवं जायज हक हकूको एव अधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा जिन्हे विविध प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पडेगा एवं भारी मानसिक परेशानी होगी एवं असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर सभव नही होगी एव भविष्य मे विविध प्रकार की पेचीदगिया पैदा होगी एव मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी। इसलिए वादिया जो कि ग्राम पंचायत खराड़ी की सरपंच है जिसे न्यायालय की शरण के अलावा कोई विकल्प शेष नही होने से यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है इसलिए वादपत्र पेश करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद खसरा नम्बर 903 के नागरिको द्वारा ग्राम पचायत खराडी में पैतृक पुश्तैनी रहवासीय मकानों के राजस्थान सरकार की योजना अन्तर्गत पट्टे प्राप्त करने का आवेदन करने पर राजस्व रेकर्ड देखने एवं राजस्व रेकर्ड की प्रतियाँ दिनाँक 14/12/2022 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम बार खसरा नम्बर 903 गै0मु0 आबादी के स्थान पर गै0मु0 गौचर दर्ज होने की जानकारी होने से बमुकाम खराडी, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस पर वादिया का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम खराडी पटवार मण्डल डिगरना के अनुसार खं.न. 903 रकबा 1.3274 हैक्टेयर (8 बीघा 4 बिस्वा) किस्म गै.मु. गौचर है। मौका जाँच अनुसार यह सही है कि ग्राम खराड़ी के ख.नं. 903 रकबा 1.3274 हैक्टेयर भूमि में मौके पर पुराने समय से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के रहवासीय मकान बने हुए हैं। मौके पर आबादी बसी हुई है। ग्राम खराडी के ख.नं. 903 राजस्व रेकर्ड अनुसार गै0मु0 गौचर है। ग्राम खराडी के राजस्व रेकर्ड अनुसार ख.नं. 503/1 का रकबा 1.3274 हैक्टेयर यानि 08 बीघा 04 बीस्वा है एवं ख.नं. 503/1 एवं 903 का रकबा एक समान है। ना.सं. 245 द्वारा ग्राम खराडी के ख.नं. 503 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 गौचर भूमि में से 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि आबादी दर्ज की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

ना.सं. 245 में आदेश नं. 990 दिनाँक 04.06.1971 का विवरण दिया हुआ है। इस आदेश की प्रति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मौका जाँच अनुसार ख. नं. 503/1 जो रेकर्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज है की भूमि में कोई आबादी बसी हुई नहीं है। एवं मौके पर भी उक्त भूमि गौचर में ही पशुओं की चराई के उपयोग में आ रही है। जबकि ख.नं. 903 की भूमि में मौके पर पुराने समय से ही आबादी बसी हुई है। अतः नामान्तरण सं. 245 दर्ज करते समय मानवीय लिपिकीय भूल से ख.नं. 903 की जगह ख.नं. 503 की भूमि में से आबादी दर्ज कर दी गई जिसको दुरूस्त कर ख.नं. 503/1 की जगह ख.नं. 903 गै0मु0 आबादी दर्ज करना उचित है। ग्राम खराडी के ख.नं. 503 रकबा 13-11 बीघा संवत् 2011 से 2030 राजस्व रेकर्ड अनुसार गै0मु0 गौचर थी। वर्ष 1971 में ख.नं. 503 में से ख.नं. 503/1 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि को गै0मु0 आबादी दर्ज किया गया था। शेष मूल खसरा 503 का रकबा 0.8660 हैक्टेयर (05 बीघा 07 बिस्वा) गै0मु0 गौचर दर्ज है। मौके पर खसरा नं. 503 व 503/1 की भूमि गौचर भूमि के रूप में ग्राम खराडी के ग्राम वासियों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है तथा ख.नं. 503 व 503/1 की भूमि में किसी प्रकार की आबादी बसी हुई नहीं है। मौका फर्द अनुसार खसरा नम्बर 503/1 का रकबा 1.3274 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 903 का रकबा भी 1.3274 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 04 बिस्वा एक समान होने से खसरा नम्बर 503/1 रकबा 1.3274 हैक्टेयर गै0मु0 आबादी से गै0मु0 गौचर एवं खसरा नम्बर 903 रकबा 1.3274 गै0मु0 गौचर से गै0मु0 आबादी घोषित किया जाता है तो गौचर भूमि एवं आबादी भूमि के रकबे में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मौका जाँच अनुसार यह सही है कि ग्राम खराडी के खसरा नम्बर 903 की भूमि को ग्रामवासियों द्वारा कदीमी से आबादी के रूप में कच्चे पक्के रहवासीय मकान बनाकर उपयोग में लिया जा रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 903 की भूमि में गौचर भूमि नहीं होने से व खसरा नम्बर 503/1 की भूमि मौके पर पशुओं की चराई के उपयोग में आने एवं किसी प्रकार की आबादी बसी हुयी (कच्चे पक्के मकान) नहीं होने से खसरा नम्बर 503/1 की जगह 903 को आबादी दर्ज करना उचित है।

वकील वादिया ने वाद के समर्थन में स्वयं वादिया रतनकंवर पत्नी चन्दनसिंह के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पर सुनी ग[illegible]ली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस [illegible]पक्ष पर गौर कर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

1. ग्राम खराडी के नामान्तकरण संख्या 245 (प्रदर्श–9) के अनुसार खसरा नम्बर 503 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 गोचर में से रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा आबादी में दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत् 2017–2020 (प्रदर्श–10) एवं संवत् 2021–2024 (प्रदर्श–11) के अनुसार खसरा नम्बर 503 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 गौचर में दर्ज थी। तत्पश्चात जमाबन्दी संवत् 2025–2028 (प्रदर्श–12) में नामान्तरकरण संख्या 245 का नोट अंकित है। जमाबंदी संवत् 2029–2032 (प्रदर्श–13), संवत् 2033–2036 (प्रदर्श–14), संवत् 2036–2040 (प्रदर्श–15), संवत् 2042–2045 (प्रदर्श–16), संवत् 2046–2048 (प्रदर्श–17) एवं संवत् 2050–2053 (प्रदर्श–18) के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 245 पारित होने के बावजूद भी खसरा संख्या 503/1 रकबा 08 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0 गौचर में ही दर्ज किया गया। जमाबंदी संवत् 2054–2057 (प्रदर्श–5,7) के अनुसार खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8–04 बीघा को गै0मु0 आबादी में दर्ज किया गया एवं खसरा नम्बर 903 रकबा 8–04 बीघा गै0मु0 गोचर में दर्ज है।
2. वादिया रतनकंवर पत्नी चन्दनसिंह सरपंच ग्राम पंचायत खराडी, पंचायत समिति ने साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 में यह सशपथ कथन किये कि ''आदेश नम्बर 990 दिनांक 05/06/1971 के जरिये खसरा नम्बर 503 की भूमि को गौचर भूमि से गै0मु0 आबादी भूमि मे कन्वर्ड कर खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा दर्ज कर दिया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारीयों की मानवीय भूल एवं सद्भाविक त्रुटिवश म्युटेशन पारित करते समय खसरा नम्बर 903 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया जो एक रोंग एन्ट्री की तारीफ मे आता है।''
3. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–19 (कर्यालय ग्राम पंचायत खराडी द्वारा आवंटन भूमि का रिकॉर्ड सही करने बाबत् उपखण्ड अधिकारी को लिखा पत्र), प्रदर्श–20ए (रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डिगरना), प्रदर्श–21 (रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खराडी), प्रदर्श–22ए (श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, पाली के कार्यालय में लगाए गए प्रतिलिपि आवेदन की स्थिति की नकल)
4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि ग्राम खराड़ी के ख.नं. 903 रकबा [illegible] हेक्टेयर भूमि में मौके पर पुराने समय से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के रहवासीय मकान बने हुए हैं। मौके पर आबादी बसी हुई है। ग्राम खराडी के ख.नं. 903 राजस्व रेकर्ड अनुसार गै0मु0 गौचर है। ग्राम खराड़ी के राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

रेकर्ड अनुसार ख.नं. 503/1 का रकबा 1.3274 हैक्टेयर यानि 08 बीघा 04 बीस्वा है एवं ख.नं. 503/1 एवं 903 का रकबा एक समान है। ना.सं. 245 द्वारा ग्राम खराडी के ख.नं. 503 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 गौचर भूमि में से 08 बीघा 04 बिस्वा भूमि आबादी दर्ज की गई थी। ना.सं. 245 में आदेश नं. 990 दिनाँक 04.06.1971 का विवरण दिया हुआ है। इस आदेश की प्रति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मौका जाँच अनुसार ख.नं. 503/1 जो रेकर्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज है की भूमि में कोई आबादी बसी हुई नहीं है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादिया के शपथ-पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम पंचायत खराडी की नामान्तरकरण पंजिका से क्रमांक 245 में अंकित गै0मु0 से आबादी में कन्वर्ट करने के आदेश की प्रतिलिपि पूर्व ग्राम पंचायत डिगरना एवं वर्तमान ग्राम पंचायत खराडी एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, पाली के कार्यालय में भी उक्त आदेश की प्रतिलिपि नहीं पाई गई। अतः वादिया के वाद में वर्णित कथनानुसार उक्त नामान्तकरण में सहवन से खसरा नम्बर 903 की जगह 503/1 दर्ज किया गया, को दस्तावेजों अनुसार साबित किया जाना सम्भव नहीं है। अतः इस प्रकरण में तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत की गई मौका जाँच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 903 में वर्तमान में रहवासीय मकान बने हुए है एवं खसरा नम्बर 503/1 वर्तमान में मौका अनुसार चारागाह के रूप में काम में ली जा रही है। खसरा नम्बर 903 एवं खसरा नम्बर 503/1 दोनों का रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा एक समान है। इस प्रकार भूमि के कन्वर्ट का आदेश उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार जैतारण की वर्तमान मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए एवं खसरा नम्बर 903 एवं 503/1 दोनों का रकबा एक समान होने एवं इन भूमियों के वर्तमान उपयोग-उपभोग को ध्यान में रखते हुए खसरा नम्बर 903 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा को गै0मु0 आबादी एवं खसरा नम्बर 503/1 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा को गै0मु0 गोचर में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादिया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम खराडी, पटवार हल्का खराडी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिराँटिया, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर के खसरा नम्बर 903 रकबा 1.3274 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0 गोचर के भू-अभिलेख में दर्ज भूमि की किस्म गै0मु0 गोचर से गै0मु0 आबादी दर्ज करते हुये इस आश्य घोषणा की जाती है एवं खसरा नम्बर 503/1 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

1.3274 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0 आबादी के भू–अभिलेख में दर्ज भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी से गै0मु0 गोचर दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। इसी मुताबिक भू–अभिलेख को अद्यतन व परिशुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 22/02/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादिया :-

1.रतनकंवर पत्नी चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी सिणला तहसील जैतारण जिला ब्यावर सरपंच ग्राम पंचायत खराडी, पंचायत समिति जैतारण जिला ब्यावर।

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0- 216/2022

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955 एवं धारा अन्तर्गत 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री अरूण सिंह राठौड, अधिवक्ता, वादिया मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खराडी, पटवार हल्का खराडी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर के खसरा नम्बर 903 रकबा 1.3274 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0 गोचर के भू-अभिलेख में दर्ज भूमि की किस्म गै0मु0 गोचर से गै0मु0 आबादी दर्ज करते हुये इस आश्य घोषणा की जाती है एवं खसरा नम्बर 503/1 रकबा 1.3274 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0 आबादी के भू-अभिलेख में दर्ज भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी से गै0मु0 गोचर दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। इसी मुताबिक भू-अभिलेख को अद्यतन व परिशुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/02/2024 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	0.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	5.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	8.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.16 16:43:14 IST
Reason: SelfAttested